IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारतीय संविधान की मूल बनावट

डॉ. सुभाष चन्द्र

सहायक आचार्य इतिहास

राजकीय कन्या महाविद्यालय

गुड़ा, नीमकाथाना, राजस्थान, भारत

षोध सारांष

हमारा संविधान ब्रिटेन के अलिखित संविधान की तुलना में लिखित तथा अनुच्छेद बद्ध एवं अमेरीका कनाडा व आस्ट्रेलिया के संक्षिप्त संविधानों के मुकाबले में बड़ा विस्तृत है। इसमें 22 अध्याय. 395 अनुच्छेद व अनेक सूचियां सम्मिलित हैं। इसके अलावा सन् 1950 से अब तक हमारे संविधान में अनेंकानेक संषोधन हुए हैं जिनकी वजह से यह संविधान संसार का विषालतम् संविधान बन गया है। विषिष्टताओं के अलावा इसमें कुछ ऐसे मौलिक तत्व हैं जो उसके मूल बनावट का निर्धारण करते हैं। संविधान का आमुख तमाम संविधान का सार हैं जैसा कि डॉ. अम्बेडकर. अल्लादि कृष्णास्वामी अयर तथा अन्य विधिवेताओं द्वारा माना गया था। इसमें जिन तथ्यों व आदर्षो व सिद्वान्तों का निरूपण हुआ हैं वे पूरे संविधान में विराजमान हैं। वास्तव में आमुख में जो न्याय स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व पर बल दिया गया है। राजनीतिक स्वतंत्रता एवं व्यक्ति –स्वातंत्रय को महत्व और आर्थिक समानता को जगह दी गई है, वे संविधान की गरिमा व अद्वितीयता की सूचक हैं। अतः संविधान की अपनी अन्तर्निहित विलक्षणता उसकी मूल बनावट की तरफ संकेत करती है।

मूल शब्द :– संविधान, कार्यपालिका, लोकतांत्रिक, समाजवादी, नागकिता, धर्म–निरपेक्ष।

परिचय :

भारतीय संविधान की मूल बनावट का आधार है, जिसमें प्रभुता अन्ततः जनता मे निहित है। सरकार अथवा राज सत्ता के विभिन्न अंगों – विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका को जो शक्तियां मिली हैं, उनका मूल स्रेत जनता ही है। हम भारत के लोग शब्दावली तमाम नागरिकों की एकता का संकेत है अर्थात् वे राज्यों के नहीं बल्कि भारत राष्ट्र के नागरिक हैं। आमुख लोगों की 'सामुहिक क्षमता' तथा 'एकजुटता' का द्योतक है। तमाम राज्य भारत संघ के अभिन्न अंग हैं। इस तरह संविधान की मूल बनावट में एक सम्पूर्ण प्रभुत्व– सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य हैं जिसमें राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का व्यापक दृष्टिकोण शामिल है। संक्षेप में संविधान की मूल बनावट न्याय,स्वतंत्रता, समानता, बन्धुता व राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है।

भारतीय संविधान की मूल बनावट

संविधान की मूल बनावट का समाजवादी दृष्टिकोण है उसके आमुख में समाजवादी शब्द पहले नहीं था,उसे एक संषोधन द्वारा जोड़ा गया है। इस समाजवादी शब्द को जोड़कर यह स्पष्ट कर दिया गया कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र अथवा देष की गरीबी को खत्म करने में अपनी सक्रिय व सहभागी भूमिका के प्रति उदास नहीं रहे। श्रीमति इंदिरा गाँधी जी के शासन काल मे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और राजा– महाराजाओं को दी जाने वाली विषेष आर्थिक सुविधाओं को खत्म कर दिया गया है। इस तरह से संविधान की मूल बनावट समाजवादी है, जो आर्थिक, न्याय, स्त्री–पुरूषों के समान कार्य के लिए समान वेतन, बाल– श्रम, बेगार व बंधुआ मजदूरी इत्यादि की समाप्ति को प्राथमिकता देती है।

ऐतिहासिक व सामाजिक दृष्टि से भारत में कई शताब्दियों से बहुसंख्यक निर्धन, अछूत व दलित लोगों को कोई अधिकार नहीं थे। नये संविधान में तमाम नागरिकों को मौलिक अधिकार दिये गये हैं। ये अधिकार निष्चय ही अभूतपूर्व है, क्योंकि इन मौलिक अधिकारों की भावना समानता व स्वतंत्रता का अधिकार शोषण के विरूद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं षिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकर आदि दिये गये है। जो मानव गरिमा एवं प्रतिष्ठा के द्योतक हैं। शुरू में सम्पति का मौलिक अधिकार भी था, लेकिन उसे भी समाजवादी बनावट की दृष्टि से एक संषोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है, ताकि पूंजीपति वर्ग बहुसंख्यक लोगों के हितों पर कुठाराघात न कर सके। ये मौलिक अधिकार किसी रंग– भेद, लिंग– भेद, धर्म– भेद के बिना तमाम नागरिकों के लिए समान है। इन्ही के अधीन छुआ– छूत बेगार जैसी कुप्रथाओं का भी संविधान द्वारा अन्त कर दिया गया है। फलतः करोड़ों पददलितों को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान हुआ। इन मौलिक अधिकारों ने यह वर्णाधारित परम्परावादी समाज व्यवस्था का भी निषेध कर दिया है, जो एक बहुत बडी सामाजिक उपलब्धि है।

भारतीय संविधान के आमुख मे कहा गया है

''हम भारत के लोग, भारत को एक सर्म्पूण, प्रभुत्व– सम्पन्न समाजवादी पंथ– निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये, तथा उसके समस्त नागरिकों की :–

- सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
- विचाार, अभिव्यक्ति, विष्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
- प्रतिष्ठा और अवसर की समता
- प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में
- व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिष्चित करने वाली
- बन्धुता बढाने के लिए

दृढ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर,1949 ई.(मिति मार्गषीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत, दो हजार छह विक्रमी) की एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है।

भारतीय संविधान में 'सार्वभौम वयस्क मताधिकार' भी सामाजिक क्रांति का एक बहुत बड़ा कदम है। हमारे समाज में अनेक स्त्री– पुरूषों को राज्य व्यवस्था के चुनावों में मताधिकार प्राप्त नहीं था। किंतु संविधान ने सभी वयस्क नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान किया है, जिसे डॉ. अम्बेडकर ने 'एक आदमी एक मत' और 'एक आदमी का महत्व' की संज्ञा दी है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार समुन्नतः एवं समृद्ध लोकतंत्र की एक प्रमुख नीवं है।

हमारे संविधान में इकहरी नागकिता प्रदान की गई है। जबकि अमेरीकी संविधान की तुलना में जहां संघ व राज्यों की पृथक– पृथक दोहरी नागरिकताएं है डॉ. अम्बेडकर के कथनानुसार तमाम देष को एकता के सूत्र में बांधने के लिए ''भारतीय नागरिकता'' एक महत्वपूर्ण एवं दूरदर्षी विचार है। प्रत्येक आदमी सम्पूर्ण देष का नागरिक है न कि राज्य व क्षेत्र विषेष का, क्योंकि राष्ट्र सभी का है और सभी राष्ट्र के नागरिक हैं। इस तरह भारत में एक ही नागरिकता प्रदान करके देष के लिए समान व्यवस्था निर्षिचित की गई है। डॉ. अम्बेडकर के कथनानुसार केन्द्र को मजबूत बनाया गया है, क्योंकि सम्पूर्ण भारत की एकता व अखण्डता को कायम रखने में समर्थ हो। वस्तुतः हमारा संविधान संघीय है, किन्तु यह एकात्मक भी है क्योंकि अवषिष्ट शक्तियां केन्द्र के पास हैं। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार ऐसी व्यवस्था केवल संकटकालीन स्थिति के लिए ही की गई है। जिस वक्त देष संकट या युद्ध की परिस्थिति में हो, तो तमाम दायित्व केन्द्र का है कि वह तमाम व्यवस्था स्थापित करे और आवष्यकता पड़ने पर राज्यों की शक्तियों को भी सीमित कर सके। इसी कारण देष की एकता को दृष्टि में रखते हुए डॉ. अम्बेडकर ने 'सार्वभौम वयस्क मताधिकार' इकहरी नागरिकता' और 'धर्म–निरपेक्षता' के सिद्धान्तों को संविधान में प्रमुख स्थान दिया है।

'धर्म–निरपेक्ष' राज्य की स्थापना

भारतीय संविधान की मूल बनावट में 'धर्म–निरपेक्ष' राज्य की स्थापना भी सम्मिलित है। भारत में अनेक धर्म, पंथ व मजहब हैं। इसलिए भारत को धर्म–निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। इस प्रकार भारतीय राज्य न तो धार्मिक है, न अधार्मिक और न ही धर्म विरोधी, वस्तुतः वह धार्मिक संकीर्णताओं तथा वृत्तियों से कोसों दूर है व धार्मिक मामलों में तटस्थ है। अतः राज्य किसी धर्म के साथ कोई पक्षपात नही करेगा व न कोई धार्मिक आधार पर सरकारी सेवाओं व अन्य

क्षेत्रों में भेदभाव करेगा। भारतीय राज्य का धर्म–निरपेक्ष स्वरूप एक ऐतिहासिक व समसामयिक जरूरत है। यह देष बहु–धार्मिक है और यहां अनेक समुदाय है, जिनको एकता के सूत्र में बांधना जरूरी था। इसी कारण डॉ. अम्बेडकर ने एक ओर धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन किया दूसरी और धर्म–निरपेक्ष स्वरूप का भी अनुमोदन किया था। जिससे उसमें अन्तर्निहित उदेष्यों की प्राप्ति हो सके। अतः इन्ही उदेष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य की निष्पक्ष और सार्वभोम भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। धार्मिक कट्टरवादिता व साम्प्रदायिक उपद्रवों को रोकना राज्य का ही दायित्व है।

भारतीय संविधान ने अमरीका की अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय संसदीय जनतांत्रिक व्यवस्था को पसन्द किया है। वैसे देष की सर्वोच्च सत्ता राष्ट्रपति में निहित है, परन्तु मूल सत्ता जनता में निहित है, जो समयानुसार चुनावों के जरिये सरकार को बदल सकती है। संसदीय प्रणाली का मूल उदेष्यों जनता की भागीदारी है, अर्थात सदियों से पिछड़े और पददलित लोग भी संसद में प्रतिनिधियों के रूप में पहुंच सके। संसदीय प्रणाली, वयस्क मताधिकार, चुनाव व्यवस्था द्वारा राजाषाही, सामन्तषाही व निरंकुष तत्वों का निषेध हो जाता है। इसके अर्न्तगत पारिवारिक षासन नीति और कुलीन तंत्रीय प्रवृति का भी निषेध होता है। वैसे संविधान में अध्यक्षीय शासन प्रणाली के गुण भी निहित है, परन्तु भारत का राष्ट्रपति निरंकुष अथवा तानाषाही नहीं बन सकता है।

संविधान में नीति 'निदेषक सिद्धान्त' हमारी मूल बनावट की एक अन्य विषेषता है। उन्हें राज्य–नीति के सिद्धान्त कहा गया है, जिसका तात्पर्य है जनता राज्य से अपेक्षा करती है कि वह अपनी नीति– निमार्ण करते वक्त उन आदर्षों व विचारों को ध्यान में रखे जिसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों व आवष्यकताओं की पूर्ति हो सके।

कुछ प्रमुख नीति– निदेषक सिद्धान्त

(1) समान कार्य के लिए सभी स्त्री– पुरूषों को समान वेतन

(2) सभी नागरिकों को जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त साधनों के लिए समान अधिकार

(3) स्वास्थ्य संचारण व शोषण से सुरक्षा

(4) अनिवार्य प्राथमिक षिक्षा का प्रयास व कलात्मक एवं ऐतिहासिक वस्तुओं की सुरक्षा

(5) ग्राम पंचायतों की स्थापना और स्वषासन की क्रियाषील इकाइयों के रूप में उनका विकास

(6) न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण

(7) आर्थिक व्यवस्था में धन व उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेन्द्रण न होना।

(8) बालकों के स्वास्थ्य तथा वातावरण का संरक्षण

(9) नागरिकों के रोजगार की व्यवस्था

(10) अर्न्तराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की वृद्धि का प्रयास करना।

अन्य शब्दों मे ये मूल नीति– निदेषक तत्व है। जिनका उदेष्य देष में समाजवादी व कल्याणकारी व्यवस्था स्थापित करना है।

हमारे संविधान में सरकार के तीन अंग – विधानपालिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका हैं परन्तु तीनों के अलग– अलग कार्य व दायित्व निर्धारित हैं। भारत में स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायपालिका है, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन की षक्ति प्राप्त है।सर्वोच्य न्यायालय केन्द्र व राज्यों के आपसी झगड़ो का निष्पादन करता है। न्यायाधीषों की नियुक्तियां कार्यपालिका द्वारा की जाती है। परन्तु उन्हें अपदस्थ करने की शक्ति कार्यपालिका के पास नहीं है। उन्हें केवल संसद में महाभियोग द्वारा ही अपदस्थ किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को विस्तृत शक्तियां दी गई हैं और अपने कार्यों को निष्पक्ष रूप से सम्पन्न करने के लिए संविधान में आवष्यक प्रावधान किये गये हैं। जैसा कि डॉ. अम्बेडकर ने कहा था ''स्वतंत्र न्यायपालिका व्यक्ति स्वातन्त्रय व मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त है, यदि वह निष्पक्ष व विवेकपूर्ण तरीके से काम करे। वह दमनकारी व अन्यायपूर्ण कानूनों के निर्माण को अवैध घोषित कर सकती है। 'वह कानून के शासन' की आधारषीला है''

हमारा समाज बहु–ढंगीय समाज है, जिसमें अनेक अल्पसंख्यक वर्ग व समुदाय है, उन पर अनेक अत्याचार तथा दुराचार हुए हैं व उनका आर्थिक तथा सामाजिक दमन भी हुआ है। अतः संविधान मे अल्पसंख्यकों के हितों का विषेष ध्यान रखा गया है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व पिछड़े वर्गो की समाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिति सुधारने के समुचित प्रावधान किये गये है। संसद व विधान–सभाओं में उनके प्रतिनिधित्व को स्थान दिया गया है व विभिन्न सरकारी सेवाओं में भी उन्हें कुछ विषेष सुविधाएं दी गई है। इस तरह संविधान के मूल ढांचे में कमजोर वर्गो की अर्थिक स्तर व शैक्षणिक स्तर सुधारने पर विषेष ध्यान दिया गया है।

संविधान के नीति– निदेषक सिद्धान्तों में अनेक विचार अन्तर्निहित हैं। इसमें लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना को एक आदर्ष रूप में रखा गया है। भारतीय संविधान के निर्माता विषेषकर डॉ. अम्बेडकर चाहते थे कि नागरिकों की भौतिक आवष्यकताओं की पूर्ति हो और उनका जीवन स्तर ऊँचा हो,कमकम समृद्ध व समुन्नत बने। इन उदेष्यों के लिये ही संविधान में समाजवादी विचार को अन्तर्निहित किया गया है व सरकार ने भी आर्थिक नियोजन की नीति को अपना रखा है यद्यपि वर्तमान परिस्थितियों में सरकार ने अर्थिक सुधारों के अन्तर्गत निजी क्षेत्र, स्वतंत्र बाजार विदेषी पूंजी निवेष आदि के लिए मार्ग खोल दिया है, जो यदि निर्धनता, बेरोजगाारी, बेगार आदि बढ़ी तो हमारे संविधान के मूल ढांचे की भावना के प्रतिकूल होगा।

भारतीय संविधान का मूल ढांचा

भारतीय संविधान का मूल ढांचा समतावादी, लोक कल्याणकारी, समाजवादी, जनतांत्रिक है। इसमें लचीलेपन एवं कठोरता का एक बहुत ही सुंदर समन्वय है। यह अमेरीका के संविधान जैसा कठोर नहीं है और न ही इंग्लैण्ड जैसा लचीला है। संविधान में तीन प्रकार से संषोधन करने का प्रावधान है– (1) कुछ अनुच्छेदो मे संषोधन संसद साधारण बहुमत से कर सकती है उदाहरणार्थ नये राज्य का निर्माण राज्यों का पुर्नगठन नागरिकता संबधी कानून आदि (2) कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमे संषोधनार्थ संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी है संविधान के अधिकतर अनुच्छेद इसी श्रेणी में आते है। (3) कुछ ऐसे भी अनुच्छेद हैं, जिनका सम्बन्ध भारत में संघीय शासन प्रणाली की स्थापना करने से है। इनमें संषोधन के लिए संसद के सभी सदस्यों के साधारण बहुमत और उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के दो– तिहाई बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंण्डलो द्वारा अनुमोदन भी जरूरी है। संषोधन की यह प्रक्रिया कठोर है।

भारतीय संविधान के मूल ढांचे में जिन 'मौलिक अधिकारों' को प्रमुख स्थान मिला था उन्हें संविधान के संषोधन अनुच्छेद 51 (क) द्वारा 'मूल कर्तव्यो' के साथ जोड़ दिया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे व उसके आदर्षो, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, आजादी के लिए संजोए उच्च मूल्यों का आदर करे, भारत की प्रभुता, एकता व अखण्डता की रक्षा करे, और उसे अक्षुण्ण रखे, देष की रक्षा व राष्ट्र सेवा करे, नागरिकों में समरसता, समान – भातृत्व व स्त्रियों के सम्मान में वृद्धि करे, प्राकृतिक सम्पदा की सुरक्षा करे, गौरवषाली परम्पराओं का महत्व समझें, वैज्ञानिक टृष्टिकोण, मानववाद व ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करे, सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे, हिंसा से दूर रहे, और व्यक्तिगत तथा सामुहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का लगातार प्रयास करें, जिसे राष्ट्र निरन्तर आग बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाईयों को छु ले। ये ऐसे मूल कर्तव्य है, जिनको सभी नागरिक, चाहे किसी भी धर्म या समुदाय के हो, विवेकपूर्ण निभा सकते हैं।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार भारत का संविधान

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार भारत का संविधान समाजवाद, पूंजीवाद अथवा साम्यवाद जैसी कोई विषिष्ट सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक विचारधारा से बंधा हुआ नहीं है, वह किसी ऐसे दर्षन का अनुयायी नही है, जो व्यक्ति विषेष या धर्म विषेष का हो। उसके मूल सिद्धान्त आदर्ष या अनुच्छेद किन्हीं संकुचित वादों व सूत्रों की सीमाओं से बंधे न होकर व्यवहारोपयोगी हैं। वर्तमान पीढ़ी या भावी पीढ़ी को भी एक खूंटे से नही बांधा और न ही उसमें किसी वर्ग विषेष के हितों का संरक्षण किया है, बल्कि व सामान्य जनहित की भावना से अनुप्राणित है, संविधान मूलतः जाति व्यवस्था आर्थिक शोषण व असमानता कमजोर वर्गो के स्त्री–पुरूषों के उत्पीड़न, बेगार, छुआ–छूत आदि का निषेध करता है।

संक्षिप्त में भारतीय संविधान में न केवल अपने नागरिकों के लिए समान अधिकार प्रदान किये हैं अपितु उसमें मानव अधिकारों की सुरक्षा को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। अम्बेडकर के मतानुसार सही अर्थ में भारतीय संविधान एक आदर्ष एवं

विषिष्ट संविधान है और वह सफल या असफल होता है, तो यह नहीं है कि संविधान का मूल ढांचा दोषयुक्त है, बल्कि यही कहना पड़ेगा कि आदमी क्रमषः श्रेष्ठ या दुष्ट है. उसमे अनेक क्षमताएं एवं योग्यताएं अन्तर्निहित है। उन्हें कार्य रूप देना, सामान्य आदमी के हित में व्यवहारिक बनाना, आदमी का ही दायित्व है।

भारत के संविधान में धर्म–निरपेक्ष में विभिन्न नागरिकों के बीच, चाहे वे किसी भी धर्म या पंथ के हो, अथवा साधु, इमाम या पुरोहित हो, विभेद करने के लिए कोई विधिक मान्यता नही है, जैसा कि बाबा साहेब ने दूसरे स्थान पर स्पष्ट किया है कि संविधान की मूल विषेषता है वैज्ञानिक और बौद्धिक आधार पर चीजों का मूल्यांकन करना, अपने–अपने धर्म या पंथ का इस प्रकार अनुसरण, प्रसारण तथा व्यवहार करना कि अन्य लोगों को किसी भी तरह का कष्ट न हो, उन्हें अनुचित रूप में आतंकित न किया जावे। सभी नागरिकों का सहभागी जीवन राष्ट्रीयता से ओत–प्रोत हो व सभी के सम्बन्धों की बोद्धिक नीवं सुढ़ढ हो, जिससे सार्वजनिक जीवन सैविधानिक व्यवस्था के अनुरूप चलता रहे। हमारा संविधान हमारी संवैधानिक व्यवस्था वास्तव में दायित्व की है, न कि पूर्वाग्रहों तथा संकीर्ण धार्मिक आस्थाओं की।

वास्तव में किसी विद्वान ने सत्य ही कहा है कि ''इंसाफ की इबारत त्याग से लिखी जाती है– समाज को स्थिरता और आधार न्याय देता है और इसकी व्यवस्था के लिए समाज एक न्याय प्रणाली विकसित करता है। यह जिम्मेदारी गंभीर काम है। लोगों को न्याय मिले और व्यवस्था का विष्वास कायम रहे, इसके लिए त्याग के लिए हमेषा तैयार रहे। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वो न केवल समसामायिक समाज को दिषा देते है बल्कि विकसित हो रहे सांस्कृतिक मूल्यों को भी अपने योगदान से कृथार्त करते हैं। श्री एम. एल. धोकिया ने कहा है कि ''संसद विधानसभा हमारी भारत माँ का मंदिर है जहां संवादो की आराधना की जा सकती है परंतु चीर–हरण नहीं किया जा सकता। अतः जनप्रतिनिधियों को आत्म निरीक्षण कर अपने कार्य– व्यवहार का अच्छा संदेष ही जनता के समक्ष पेष करना होना चाहिये जिससे लोंकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा व छवि अक्षुण रह सके। अन्त मे मैं डॉ इकबाल वही शायर है जिनकी कलम से मषहूर कौमी तराना लिखा है, उनकी निम्न पंक्तियां हमारे देष को गौरान्वित करती हैं पाठको के समक्ष पेष है–

''सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा,
हम बुलबुल है इसकी ये गुलिस्ता हमारा।
यूनान, मिस्त्रो रूमा सब मिट गए जहां से
अब तक मगर है बाकी नामोंनिषा हमारा।

निष्कर्ष :

बाबा साहेब की दृष्टि से, राज्य का काम व दायित्व सकारात्मक भूमिका निभाना है, जिससे कि राष्ट्रीय एकता व सुढ़ढ़ता में वृद्धि हो। राष्ट्रीय समाज की पहचान देष की संवैधानिक व्यवस्था में ही सम्भव है, कारण कि उसके मूल सिद्धान्त–न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बन्धुत्व सार्वकालिक हैं और वे सभी नागरिकों की भलाई के मानव मूल्य हैं। डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि मैं समझता हू कि हमारा संविधान काम चलाऊ है, यह लचकदार है, यह देष को शान्ति और युद्ध दोनों वक्तों में संयुक्त रखने में सषक्त है, वास्तव में, यदि मैं यह कहूं कि इस नये संविधान के अधीन हालात बिगड़े तो उसका कारण यह नहीं होगा कि संविधान बुरा था, बल्कि कहना यह पड़ेगा कि इंसान ही बुरा व निक्कमा था''।

पंडित जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में– डॉ भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के मुख्य षिल्पकार है। वास्तव में डॉ. अम्बेडकर के विचारों में जो शुद्ध सोने जैसे हैं न कोई खोट संभव है और न ही उनकी नकल आसान है अन्त में डॉ. अम्बेडकर के बारे कहा जा सकता है–

तेरी तालीमात (योग्यता) पर हिंदुस्ता को नाज है,
हिन्द को क्या नाज है, सारे जहां को नाज है।

संदर्भ ग्रंथ

1. सी. ए. डी. ऑफिषियल रिपोर्ट, खण्ड 7, 4 नवम्बर 1948 (डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर, रायटिंग्स एण्ड स्पीचेज, खण्ड 13) रविवार्ता के अन्तर्गत – 'नवभारत टाइम्स' 22 जनवरी; 1995
2. वी. आर. कृष्णा अययर; 'व्हाई स्लर अम्बेडकर्' ? हिन्दुस्तान टाइम्स, 22 फरवरी 1995
3. सी.ए.डी. ऑफिषियल रिपोर्ट, खण्ड 11, 26 नवम्बर 1949
4. डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर – रायटिंग्स एण्ड स्पीचेज, खण्ड 2 (महाराष्ट्र सरकार प्रकाषन, बॉम्बे 1982 व 1994)
5. बी.आर. अम्बेडकर फेडरेषन वर्सेज फ्रीडम (भीम पत्रिका पब्लिकेषन्स, जालंधर 1977)
6. जवाहर लाल नेहरू, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया (मेरिडियन बुक्स, लन्दन 1944)
7. बी.बी. मिश्र, द ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया (ऑक्सफोर्ड बॉम्बे, 1977)
8. एन.डी. पामर, द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम (हॉगटन, बोस्टन 1970)
9. बी.डी. महाजन फिफ्टी यीअर्स ऑफ मॉर्डन इंडिया, (1919–1969) (चांद एण्ड कम्पनी दिल्ली 1970)
10. धनन्जय कीर डॉ. अम्बेडकर– लाइफ एण्ड मिषन (पॉपूलर प्रकाषन बॉम्बे 1962)
11. सोर्स मेटेरियल ऑन डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर एण्ड द मुवमेण्ट ऑफ अण्टचेबिल्स, खण्ड 1, (महाराष्ट्र सरकार प्रकाषन बॉम्बे 1982)
12. धनन्जय कीर, वही पृ. 337–338
13. डी.आर. जाटव, राष्ट्रीय आन्दोलन में डॉ. अम्बेडकर की भूमिका, (समता साहित्य सदन जयपुर 1989)
14. बी.आर. अम्बेडकर, पाकिस्तान ऑर द पार्टीषन ऑफ इंडिया, (थैकर एण्ड कम्पनी, बॉम्बे 1946)धनन्जय कीर, वही पृ. 340
15. डॉ. अम्बेडकर 'स स्टेटमेण्ट ऑन क्रिप्पस प्रपोजल्स, अप्रेल 1942
16. वी.पी.एस. रघुवंषी, इंडियन नेषनलिस्ट मूवमेण्ट एण्ड थॉट (लक्ष्मी नारायण, आगरा 1959)
17. बोस पटवर्धन, गांधी इन इंडियन पॉलिटिक्स (लल्वानी, बॉम्बे, 1967)
18. इंडियन एनुअल रजिस्टर, खण्ड 2 1946
19. सी.ए.डी. खण्ड 1, नम्बर 1, 13 दिसम्बर 1946–वही 17 दिसम्बर 1946
20. बी.आर. अम्बेडकर, स्टेट्स एण्ड माइनॉरिटिज 1947
21. जी. ऑस्टिन, द इडियन कान्सटीट्यूषन, (आक्सफोर्ड, बॉम्बे 1976)
22. एल.आर. बाली द्वारा प्रकाषित, डॉ. भीमराव अम्बेडकर – जीवन एवं मिषन
23. बी.आर. सांपला 20 कैम्ब्रिज रोड अल्डरषॉट हंट्स, इंग्लैण्ड द्वारा लिखित प्रकाषित पुस्तके इत्यादि।
24. अम्बेडकर साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक एवं साहित्यकार डॉ. डी. आर. जाटव साहेब की पुस्तक–
    1 डॉ. बी आर अम्बेडकर का व्यक्तित्व एवं कृतित्व तथा
    2 डॉ. बी आर अम्बेडकर– संविधान के मुख्य निर्माता।